भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2246

19 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए नीतिगत ढांचा

2246. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई

श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों और व्यापारियों के लिए स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करने हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक व्यापक नीति बनाने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, विशेष रूप से प्याज, चावल और अन्य आवश्यक फसलों के मामले में अचानक निर्यात प्रतिबंधों से प्रभावित किसानों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र शुरू करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने हेतु तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश के आयात और निर्यात गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है और घरेलू हितों की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार व्यापार नीतियों में संशोधन करती है। आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) मौजूद है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सदस्य के रूप में शामिल है। जो आवश्यक कृषि उत्पादों पर सूक्ष्म और नियमित निगरानी रखती है, उनकी उपलब्धता और बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करती है। यह घरेलू उत्पादन, व्यापार या खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले रुझानों की शीघ्र पहचान करने के लिए आयात में किसी भी प्रकार की वृद्धि की निगरानी भी करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंड एफडब्ल्यू) किसानों के हितों की रक्षा और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, कृषि उत्पादों के आयात की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित

मंत्रालय/विभाग से आयात शुल्क या बंदरगाह प्रतिबंध जैसे उपायों की संस्तुति करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कई चालू योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की सहायता करती है, जिनमें शामिल हैं:

- अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के तहत खरीद के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप;
- प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) संचालन, ताकि अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके;
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बाजार आसूचना और बफर स्टॉक संचालन; तथा
- आय में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए पीएम-किसान जैसी इनपुट और आय सहायता योजनाएं।

इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य बाजार में व्यवधान के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

(ङ) और (च): वाणिज्य विभाग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के अंतर्गत अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें देशभर के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) शामिल हैं।

विशेष रूप से किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के संबंध में, एपीईडीए अपने पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से कृषि पद्धतियों (जीएपी) के कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि वे आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान भारत भर में संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से लगभग 1080 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से एफपीओ/एफपीसी/एसएचजी सहित निर्यातकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि किसान समूहों को निर्यात आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने और उद्यमियों को भावी निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अंत में, एपीईडीए ने विदेशों और भारत में आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड, भारत में आहार और गल्फ फूड आदि में एफपीओ और एफपीसी सहित अपने सदस्य निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित की।

*****